राजकीय महाविद्यालय, कामां

विवरणिका

2021-22

Website: https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckaman

Email: gckaman@gmail.com

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

राजस्थान सरकार के बजट 2018 -19 के बिंदु संख्या 103 में कामां उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी जिसकी अनुपालना में वित्त विभाग की आई डी संख्या 101800988 दिनांक 14. 03.2018 से प्राप्त सहमति के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प 7 (6)शिक्षा/ग्रुप-3 /2018 दिनांक 9 मई 2018 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय, कामां को शैक्षणिक सत्र 2018 -19 से प्रारम्भ करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेश क्रमांक एफ 20 (101 /11)आयो/आकाशि/2018-19/1003 दिनांक 10 मई 2018 के द्वारा इस महाविद्यालय को कला वर्ग में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, अर्थ शास्त्र एवं संस्कृत वैकल्पिक विषयों के साथ दो वर्ग प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6(8)ग्रुप-3/2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा महाविद्यालय में उर्दू विषय भी वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकृत किया गया। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में कुल 160 सीटें हैं।

यह महाविद्यालय महाराजा सूरजमलमल विश्वविद्यालय, भरतपुर से सम्बद्ध (affiliated) है।

महाविद्यालय को संभागीय आयुक्त, भरतपुर के आदेश क्रमांक प.6(265)राजस्व/2018/636 दिनांक 14 अगस्त 2018 के द्वारा तहसील कामां ग्राम बास करमूका के आराजजी खसरा नंबर 33/1 रकबा 2.25 हेक्टेयर आवंटन किया गया।

महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत रु. 6.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके तहत रु. 3.90 करोड़ का कार्यादेश सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया जा चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय का अस्थायी परिसर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय (हनुमान पाठशाला) के परिसर में संचालित है।

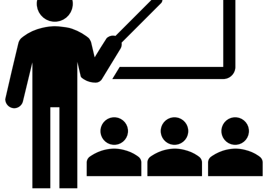

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम : कला स्नातक (Bachelor of Arts or B.A.)

स्वीकृत वर्ग : 2 स्वीकृत सीट संख्या : 160

(क) अनिवार्य विषय (स्नातक भाग प्रथम)

1 - सामान्य हिन्दी 2 - सामान्य अंग्रेजी 3 - कम्प्यूटर शिक्षा 4 - पर्यावरण अध्ययन

(ख) उपलब्ध ऐच्छिक/वैकल्पिक विषय :-

लोक प्रशासन	अर्थ शास्त्र	दर्शन शास्त्र
संस्कृत	अंग्रेजी साहित्य	हिंदी साहित्य
गृह विज्ञान	उर्दू	

(नोट 1 : सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमानुसार गृह विज्ञान विषय केवल महिलाओं को ही आवंटित किया जा सकता है तथा उर्दू के साथ हिंदी विषय का चयन नहीं किया जा सकता है।
2 महाविद्यालय में उपलब्ध विषय संयोजन की सूची आगे दी गयी है)

उपलब्ध विषय संयोजन:

Sr.No.	First Subject	Second Subject	Third Subject
1	Economics	Philosophy	Urdu
2	English Literature	Public Administration	Home Science
3	English Literature	Public Administration	Philosophy
4	Hindi Literature	English Literature	Economics
5	Hindi Literature	English Literature	Home Science
6	Hindi Literature	English Literature	Public Administration
7	Hindi Literature	Home Science	Economics
8	Hindi Literature	Home Science	Philosophy
9	Hindi Literature	Public Administration	Home Science
10	Hindi Literature	Public Administration	Philosophy
11	Hindi Literature	Sanskrit	Economics
12	Hindi Literature	Sanskrit	Home Science
13	Hindi Literature	Sanskrit	Philosophy
14	Hindi Literature	Sanskrit	Public Administration
15	Home Science	Economics	Urdu
16	Public Administration	Economics	Philosophy
17	Public Administration	Economics	Urdu
18	Public Administration	Home Science	Philosophy
19	Public Administration	Home Science	Urdu
20	Public Administration	Philosophy	Urdu
21	Sanskrit	Home Science	Economics
22	Sanskrit	Home Science	Philosophy
23	Sanskrit	Public Administration	Home Science

(प्रथम वर्ष कला वर्ग में विद्यार्थी द्वारा चुने गए ऐच्छिक/वैकल्पिक विषय और विषय-समूह को आवंटित करने हेतु महाविद्यालय बाध्य नहीं होगा क्योंकि यह आवंटन सीट की उपलब्धता तथा विद्यार्थी की मैरिट आधार पर किया जा जाता है। बी.ए. भाग प्रथम के ऐच्छिक विषय ही भाग द्वितीय/तृतीय में यथावत् रहेंगे तथा आवंटन के उपरान्त इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।)

महाविद्यालय में उपलब्ध इन विषयों के सिलेबस सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं अतः विद्यार्थी विषयवार सिलेबस की जानकारी महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की वेबसाइट (https://msbrijuniversity.ac.in) पर देख सकते हैं। महाविद्यालय में उपलब्ध स्नातक कला (बी. ए. कला) का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रमों की सूची में शामिल है तथा पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष है।

प्रवेश प्रक्रिया:-

राजस्थान के सभी सामान्य शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों की तरह राजकीय महाविद्यालय, कामां में भी प्रवेश पूर्णतः राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुसार ही किया जाता है। नीति का अवलोकन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट (https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/policies.php) से किया जा सकता है। समस्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक एकीकृत पोर्टल है जिस पर प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस पोर्टल का पता https://dceapp.rajasthan.gov.in/ जिसकी लिंक विभागीय वेबसाइट (https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/) पर भी उपलब्ध है। प्रवेश के लिए महाविद्यालय से किसी प्रकार के प्रवेश फॉर्म या विवरणिका (Prospectus) को खरीदना आवश्यक नहीं है। आवेदक लेपटॉप/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कनेक्ट होकर या ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों में पूर्णतः मेरिट पर होता है।

प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रमों के प्रथम भाग/पूर्वार्ध में प्रवेश प्रक्रिया अर्हकारी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त प्रारम्भ होता है तथा इसकी तिथियों आदि की जानकारी प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जानी जा सकती है। जो विद्यार्थी पूर्व से ही महाविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं उनके प्रवेश का नवीनीकरण भी इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। पाठ्यक्रमों का शुल्क भी इन्ही पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शुल्क की जानकारी आप सम्बंधित महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

विषय परिवर्तन:-

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा दिए गए कलेण्डर व नियमों के अंतर्गत विद्यार्थियों को विषय परिवर्तन की अनुमति होगी। विषय परिवर्तन सीटों की उपलब्धता तथा मेरिट के आधार पर किया जायेगा। विषय परिवर्तन के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा तथा प्रायोगिक शुल्क लागू होने या शुल्क में अंतर होने पर शुल्क के अंतर की राशि भी जमा करवानी होगी।

महाविद्यालय शुल्क (in Rs.): प्रायोगिक विषय (गृहविज्ञान) विषय होने पर

Year of Graduation	PWD (Girls & boys of any income group & category)	Girls all categories and income except PWD	ITP & NITP SC ST OBC MBC Boys incl. wards of Govt employee	NITP General Boys	ITP General & OBC Boys incl. wards of Govt employee
B.A. Part-I (First Year)	20.00	1652.00	1762.00	1804.00	1882.00
B.A. Part-II Second year	20.00	1177.00	1287.00	1329.00	1407.00
B.A. Part-III Third Year	20.00	1177.00	1287.00	1329.00	1407.00
ITP=Wards of Income Tax Payers, NITP=Wards of Non-Income Tax Payers PWD=Persons with Disability, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe, OBC=Other Backward Classes, MBC=Most Backward Class					

महाविद्यालय शुल्क (in Rs.): प्रायोगिक विषय (गृहविज्ञान) विषय न होने पर

Year of Graduation	PWD (Girls & boys of any income group & category)	Girls all categories and income except PWD	ITP & NITP SC ST OBC MBC Boys incl. wards of Govt employee	NITP General Boys	ITP General & OBC Boys incl. wards of Govt employee
B.A. Part-I (First Year)	20.00	1552.00	1662.00	1704.00	1782.00
B.A. Part-II Second year	20.00	1077.00	1187.00	1229.00	1307.00
B.A. Part-III Third Year	20.00	1077.00	1187.00	1229.00	1307.00
ITP=Wards of Income Tax Payers, NITP=Wards of Non-Income Tax Payers PWD=Persons with Disability, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe, OBC=Other Backward Classes, MBC=Most Backward Class					

शुल्क वापसी के नियम:-

महाविद्यालय में शुल्क की वापसी राज्य सरकार एवं नियामक निकायों के नियमों के अंतर्गत ही किया जायेगा। नियामक निकाय प्रवेश तिथि निकल जाने के 30 दिन उपरांत शुल्क की राशि वापसी का प्रावधान नहीं है परन्तु विद्यार्थी चाहे तो आवेदन कर स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। प्रवेश की अंतिम तिथि व्यतीत होने से 30 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करवा लेने की स्थिति में अनुमत सीमा में कटौती करते हुए एवं प्रोसेसिंग शुल्क लेते हुए शेष शुल्क लौटाया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा जमा करवाया गया कॉशनमनी वे महाविद्यालय छोड़ने की तीन वर्ष की अवधि में मूल शुल्क रसीद प्रस्तुत पुनः प्राप्त कर सकते हैं परन्तु यह अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत कॉशनमनी लौटाया नहीं जा सकेगा।

शुल्क का मदवार विवरण:-

Sr No.	Sub Fee Heads	PWD (Girls & boys of any income group & category)	Girls all categories and income except PWD	ITP & NITP SC ST OBC MBC Boys incl wards of Govt employee	NITP General Boys	ITP General & OBC Boys incl wards of Govt employee
1.	ADMISSION	0	0	10	10	10
2.	LAB (only for Practical subjects)	0	0	100	100	100
3.	TUITION	0	0	0	42	120
4.	CAUTION MONEY	0	25	25	25	25
5.	LIBRARY	0	10	10	10	10
6.	LIBRARY OPEN SHELF	0	5	5	5	5
7.	READING ROOM	0	100	100	100	100
8.	COLLEGE MAGAZINE	0	50	50	50	50
9.	CULTURAL ACTIVITY	0	10	10	10	10
10.	PLANNING FORUM	0	2	2	2	2
11.	RANGERING SCOUT GUIDE	0	10	10	10	10
12.	ASSOCIATIONS	0	10	10	10	10
13.	ECO CLUB	0	10	10	10	10
14.	ENTERTAINMENT	0	10	10	10	10
15.	GENERAL PURPOSE	0	100	100	100	100
16.	STUDENT HELP	0	5	5	5	5
17.	MEDICAL CHECK UP	0	5	5	5	5
18.	CAMPUS BEAUTIFICATION CLEANLINESS	0	5	5	5	5
19.	IDENTITY CARD	0	20	20	20	20
20.	POSTAGE	0	5	5	5	5
21.	INTERNAL ASSESSMENT	0	75	75	75	75
22.	SUBJECT COUNCIL CAREER COUNCELLING	0	20	20	20	20
23.	COLLEGE DEVELOPMENT	0	100	100	100	100
24.	CYCLE STAND	0	25	25	25	25
25.	COLLEGE TC	0	10	10	10	10
26.	COLLEGE GAMES	0	100	100	100	100
27.	STUDENT MEMBERSHIP	0	10	10	10	10
28.	STUDENT ADVISER	0	10	10	10	10
29.	STUDENT WELFARE	0	10	10	10	10
30.	GARDEN DEVELOPMENT	0	10	10	10	10
31.	STUDENT UNION ACTIVITY	0	50	50	50	50
32.	MVS FEE	0	200	200	200	200
33.	INSURANCE	20	20	100	100	100
34.	COMPUTER EDU.	0	450	450	450	450
35.	UNIVERSITY GAMES	0	50	50	50	50
36.	UNIVERSITY DEVELOPMENT	0	50	50	50	50
	Total	**20**	**1652**	**1762**	**1804**	**1882**
Caution fee and Elementary Computer Fee is collected only at BA Part- I						

प्रवेश हेतु आरक्षित सीटें:-

महाविद्यालय में नवीन प्रवेश के लिए राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण लागू है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	12 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	21 प्रतिशत
अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	05 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	10 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त दिव्यांग आवेदकों हेतु प्रत्येक श्रेणी में 5 प्रतिशत स्थान क्षैतिजवर्ती रूप से आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ व बोनस अंक आदि का प्रावधान भी है जिसका विस्तृत वर्णन विद्यार्थी कॉलेज शिक्षा विभाग की प्रवेश नीति में देख सकते हैं। नवीन प्रवेश फॉर्म भरते समय 'ऑनलाइन एप्लिकेशन' में आपको इन प्रावधानों का लाभ दिए जाने का पूर्ण अवसर दिया जाता है।

ADMISSION COMMITTEE (2021-22)

1- SH. BHAGIRATH PRASAD MEENA, NODAL OFFICER	9460500097
2- SH. DHEERAJ KUMAR GUPTA, CONVENOR	9413051574
3- SH. HARVIR SINGH, MEMBER	9785907402
4- SMT. RINKY GUPTA, MEMBER	9145996022
5- SH. ROOP SINGH, MEMBER	9785066980
6- SH. SACHIN PALIWAL, MEMBER	9540076597

HELP DESK NUMBER- 9024242552

परीक्षाएं:-

महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करने हेतु क्लास टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, आदि की व्यवस्था है परन्तु वार्षिक परीक्षाएं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं तथा इसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सत्र में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाए जाते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं वार्षिक रूप से आयोजित की जाती हैं तथा महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है।

परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। परीक्षा फॉर्म भरने का उत्तरदायित्व स्वयं विद्यार्थियों का है तथा आवेदन न कर पाने हेतु विद्यार्थी स्वयं ज़िम्मेदार होंगे। इस हेतु विद्यार्थी महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड, स्थानीय समाचार पत्रों तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट (https://msbrijuniversity.ac.in/) का अवलोकन समय-समय पर करते रहें। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु शुल्क लिया जाता है जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट प्राप्त की जा सकती है।

कक्षाओं में उपस्थिति :-

देश में उच्च शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित बनाये गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार नियमित रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अतः विद्यार्थी महाविद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहें। उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम होने पर विद्यार्थी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

तम्बाखू मुक्त परिसर:-

सिगरेट एंड अदर टौबेको प्रोडक्ट एक्ट, 2003, जिसे कोट्पा (COTPA) के लघु नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग करने, तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन / प्रमोशन करने, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने, शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पुस्तकालय

इस नवस्थापित महाविद्यालय में विद्यार्थियों के हितार्थ शीघ्र ही पुस्तकालय की सेवाएं प्रारम्भ की जाएंगी। वर्तमान में ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं पुस्तकें क्रय नहीं कर सकते उनके लिए बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

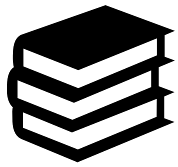

सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ:-

(1) खेल कूद

वर्तमान में महाविद्यालय के अस्थायी परिसर में सीमित स्थान होने के कारण खेलकूद की सीमित गतिविधियां ही आयोजित की जा रही हैं।

(2) राष्ट्रीय सेवा योजना तथा नेशनल केडेट कोर (NSS and NCC)

वर्तमान में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की कोई इकाई तथा नेशनल केडेट कोर की कोई यूनिट आवंटित नहीं है।

(3) सांस्कृतिक गतिविधियां

महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक रुचि रखने वाले विद्यार्थी महाविद्यालय के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभारी से संपर्क कर इनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(4) महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा महिला प्रकोष्ठ की अनिवार्य सदस्या है। इसके माध्यम से छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की सह शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ।

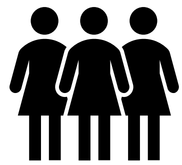

दुर्घटना बीमा योजना :-

राजस्थान के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के दुर्घटना बीमा हेतु राज्य सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' 2002-03 से संचालित की जा रही है। इस योजना का शुल्क (प्रीमियम) एवं शर्तें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा तय की जाती हैं तथा सत्र 2021 -22 में दो लाख रुपये के बीमाधन हेतु इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये प्रति विद्यार्थी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी से लिया जाता है तथा प्राप्त प्रीमियम की राशि सम्बंधित विभाग को जाती है। दुर्घटना मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की स्थिति में दावे जिलास्तर पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

छात्र संघ चुनाव :-

महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधि लोकतंत्र का अनुभव देने के लिए छात्रसंघ गठित करने का प्रावधान है। राजकीय महाविद्यालयों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कलेण्डर के अनुसार छात्रसंघ चुनाव करवाए जाते हैं। छात्रसंघ का कार्यकाल केवल एक शैक्षणिक सत्र् का होता है। छात्रसंघ के चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश से गठित लिंगदोह कमेटी की अनुशंसा के अनुसार करवाए जाते हैं। ऐसे चुनावों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश उच्चशिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी किये जाते हैं। लिगंदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लघंन करने पर कार्यवाही किये जा सकने का प्रावधान है।

छात्रवृत्तियां (Scholarships):-

महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारियता विभाग, अल्पसंख्यक विभाग आदि द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। इनके लिए पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की अधिक जानकारी विभाग के पोर्टल (https://hte.rajasthan.gov.in/scholarship.php) से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन करने हेतु लिंक भी आपको इसी पोर्टल पर प्राप्त होगा।

नोट:

यह महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय है अतः इस पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य शिक्षा की प्रवेश नीति लागू है जिसकी घोषणा राज्य के कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। आरक्षण, छात्रवृत्ति, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा आदि से सम्बंधित नियम राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा, अनुमत विषय-संयोजन आदि के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं अतः इन विभागों /निकायों किये गए कोई भी परिवर्तन स्वतः ही इस महाविद्यालय पर भी लागू होंगे।

शिष्टाचार सम्बन्धी नियम:-

- विद्यार्थी अपना परिचय-पत्र सदैव अपने साथ रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।
- महाविद्यालय परिसर में श्रेष्ठ आचरण एवं शिष्ट व्यवहार अपेक्षित एवं आवश्यक है।
- महाविद्यालय परिसर में पूर्ण अनुशासन बनाये रखें। अनुशासनहीनता के दोषी विद्यार्थियों को दण्डित एवं महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- कक्षाओं में तथा परिसर में शांति बनाए रखना अपेक्षित है। महाविद्यालय में ऊंचे स्वर में बातचीत करना महाविद्यालय और विद्यार्थी के परिवार की गरिमा के प्रतिकूल है। वार्तालाप चाहे विद्यार्थियों के बीच आपस में ही किया जा रहा हो, इसमें शालीन शब्दों का प्रयोग किया जाना तथा अपशब्दों का उपयोग न किया जाना अपेक्षित है।
- विद्यार्थी अपने से कनिष्ठ विद्यार्थियों की सहायता और उत्साहवर्धन के लिए सदैव तत्पर रहें। स्मरण रखें कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है अतः न तो स्वयं इसमें शामिल हों न ही सहपाठियों को ऐसे दुष्कृत्यों में शामिल होने दें।
- अपने से बड़ों, अपरिचितों, सहपाठी छात्राओं तथा शिक्षकों से वार्तालाप करते समय मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखें।
- विद्यार्थी महाविद्यालय प्रशासन की पूर्वानुमति के बिना अपने स्टार पर महाविद्यालय परिसर में कोई सभा, संगोष्ठी, अथवा अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्तियों को बिना पूर्वानुमति में आमंत्रित किया जाना निषिद्ध है।
- विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और स्वयं को किसी भी प्रकार की बुरी लत जैसे सिगरेट, तम्बाखू, मदिरा व अन्य नशीले पदार्थों से बचाएंगे तथा अपना समय व ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे।
- महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं न ही किसी अन्य को पहुंचाने दें।
- परीक्षाओं में नक़ल विश्वविद्यालय के नियमों तथा राजस्थान सरकार के Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992 अनुसार दंडनीय अपराध है अतः परीक्षा में किसी भी प्रकार की नक़ल करने का प्रयास न करें।
- महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अपने समाज और शहर के लिए स्वयं को एक आदर्श युवा के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तथा उसे ऐसा आचरण अपनाना चाहिए जो सर्वत्र प्रशंसनीय व अनुकरणीय हो।
- विद्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महाविद्यालय के शिष्टाचार के अथवा अन्य लागू नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दण्डित किया जा सकता है अतः सभी विद्यार्थी अपना आचरण संयत रखें।

महाविद्यालय में स्वीकृत पदों तथा स्टाफ का विवरण

प्राचार्य : डॉ धीरेन्द्र देवर्षि

अन्य स्वीकृत शैक्षणिक पद एवं शैक्षणिक स्टाफ:-

विषय	स्वीकृत पद	शैक्षणिक स्टाफ
लोक प्रशासन[1]	1	श्री हरवीर सिंह, सहायक आचार्य
संस्कृत[1]	1	श्रीमती रिंकी गुप्ता, सहायक आचार्य
हिंदी साहित्य[1]	1	श्री धीरज कुमार गप्ता, सहायक आचार्य
अंग्रेजी साहित्य[1]	1	श्री भागीरथ प्रसाद मीणा, सहायक आचार्य
अर्थ शास्त्र[1]	1	रिक्त
दर्शन शास्त्र[1]	1	रिक्त
गृह विज्ञान[1]	1	रिक्त
उर्दू[2]	1	रिक्त

स्वीकृत अशैक्षणिक पद एवं अशैक्षणिक स्टाफ:-

पद	स्वीकृत पद	अशैक्षणिक स्टाफ
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	रिक्त
शारीरिक शिक्षक	1	रिक्त
कार्यालय अधीक्षक	1	श्री रूप सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी	1	रिक्त
सूचना सहायक	1	रिक्त
वरिष्ठ लिपिक	1	रिक्त
कनिष्ठ लिपिक	3	श्री हरिसिंह गोमलाडू, वर्तमान में अन्य महाविद्यालय में कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत श्री सचिन पालीवाल, जूनियर असिस्टेंट
प्रयोगशाला सहायक	1	रिक्त
प्रयोगशाला वाहक	1	रिक्त
बुक लिफ्टर	1	रिक्त
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	रिक्त

(1. आदेश क्रमांक एफ 20 (101)/13/आयो/निकाशि/2013-14/1261 दिनांक 29 अगस्त 2013; 2. क्रमांक एफ 6(8)ग्रुप-3/2019 दिनांक 16 अगस्त 2019)

Download
ANTI RAGGING
App
SAY NO TO
RAGGING
YES TO
JOYFULCAMPUS
What is Ragging?
Any Act Resulting in:
• Mental/physical/sexual Abuse
• Verbal Abuse
• Indecent Behaviour
• Criminal Intimidation/wrongful Restraint
• Undermining Human Dignity
• Financial Exploitation/extortion
• Use Of Force
A STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE:
• Cancellation of admission.
• Suspension from attending classes.
• Withholding/withdrawing Scholarship/Fellowship and other benefits.
• Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
• Withholding results.
• Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament or youth festival etc.
• Collective punishment : when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on potential ragger.
Immediately call
UGC Anti-Ragging Helpline
1800-180-5522 (24X7 toll free)
or send an e-mail to helpline@antiragging.in
सत्यमेव जयते
MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all
ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये